मूलचंद अभि./शक्तावई

नि०प्र० 1237-RBR/15 दयार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावक आदि के हस्ताक्षर
01–6–15	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभि. उपस्थित । उन्हें प्रकरण की ग्राह्यता एवं स्थगन पर सुना गया । यह निगरानी अपर आयुक्त के अंतरिम आदेश दिनांक 19–5–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपर आयुक्त ने आवेदक का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है । 2– आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपर आयुक्त ने उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में केवल आवेदक का स्थगन आवेदन निरस्त किया है और अपील निराकरण हेतु उनके समक्ष लंबित है, ऐसी स्थिति में निगरानी को ग्राह्य किए जाने का कोई औचित्य प्रथमदृष्टया प्रकरण में नहीं है । जहां तक प्रकरण में स्थगन दिए जाने का प्रश्न है विचारोपरांत न्यायहित में यह निर्देश दिए जाते हैं कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण का निराकरण किये जाने अथवा तीन माह जो भी पहले हो तक अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.4.15 का कियान्वयन स्थगित रखा जाये । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

गाक्षेमुर्गवा—320—फॉर्म्स—21-9-12—5,000 प्रपत्र

20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA सत्यमेव जयते बीस रुपये TWENTY RUPEES

निगरानी 1237-PBR-15 प्र.कं...................

पेशी दि.....................

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

श्री ... चतुर्वेदी ... द्वारा आज दि. 1/6/15 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. मूलचंद पिता गंगाराम जाति गारी आयु–40 वर्ष
2. रमेश पिता दरियाव आयु 35 वर्ष
दोनों निवासीयान ग्राम मांगरोल तह. व जिला धार

........निगरानीकर्ता

बनाम

1. राधाबाई पति विक्रम सिंह राजपूत
निवासी – ग्राम मांगरोल तह. व जिला धार
हा. मु. दिवानिया तह. बदनावर जिला धार
2. नंदराम पिता दरियाव सिंह चौधरी आयु 33 वर्ष
धन्धा खेती निवासी ग्राम मांगरोल तह. व जिला धार

........विपक्षीगण

निगरानी धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959 मुजब

01/06/15

माननीय न्यायालय,

सेवा में, नम्रता से अर्ज है कि ग्राम मांगरोल तह. व जिला धार की भूमि सर्वे नं. 110/1/क/4 रकबा 1.265 हे. होकर उक्त भूमि के हम खरीददार है हमारे हक में मुख्त्यार ने रजिस्टर्ड बिक्री पत्र द्वारा उक्त भूमि अर्जित है रजिस्टर्ड डीड आज भी कायम है तहसीलदार महोदय धार ने उक्त भूमि के संबंध में राजस्व प्रकरण में 94/अ–6/2012–13 में आज्ञा दिनांक 25/03/2014 द्वारा दोनों रजिस्टर्ड दस्तावेज होने से जिन पर फोटो लगे होने से उनकी विधिकता पर कोई आक्षेप नहीं हो सकता तहसील को जांच करने का ज्यूडिशल नहीं है । मूल न्यायालय में राधाबाई ने कोई साक्ष्य पेश की है और ना ही समय चाहा ऐसी दशा में रजिस्टर्ड दस्तावेज की सत्यता को स्वीकार कर बिक्री पत्र को स्वीकार कर नाम की आज्ञा दी जिसमें स्वयं राधाबाई की मौजूदगी है । ऐसी दशा में उसने स्वयं ने अपने प्रकरण के प्रति रूचि नहीं दिखाई ऐसी दशा में तहसील ने नाम की आज्ञा दी उसकी कोई विधिक अपील अन्दर 30 दिन राधाबाई ने अनुविभागीय अधिकारी के यहां नहीं की बेरून मियाद अपील मियाद बाहर होते हुए ग्राहृय कर अनुविभागीय अधिकारी महोदय राजस्व क्षेत्र धार में राजस्व अपील प्रकरण कमांक 66/2013–14 में निर्णय दिनांक 30 अप्रेल 2015 द्वारा ...